HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 942/2026

Golu S/o Sundarlal, Aged About 23 Years, R/o Ward No. 22, Purana Chhabra Rasta, Chhipabarod, Police Station Chhipabarod, District Baran (Raj.)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Jagdish Nagar, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
Judgment / Order

01/05/2026

1. In S.B. Criminal Appeal No. 942/2026

एकल पीठ दांडिक अपीलों के ग्रहणार्थ प्रक्रम पर सुना गया।

इन अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अपीलें विचारार्थ ग्रहण की जाती हैं।

विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे।

2. In S.B. Criminal Misc. (SOS) Appl. No. 844/2026:-

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

प्रार्थी–अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय **विशेष न्यायाधीश, लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण, अधिनियम 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, क्रम–2 बारां** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **29/2024** में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 16.04.2026 के माध्यम से धारा 363 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अधिकतम तीन वर्ष के **कठोर** कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी–अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। विचारण के दौरान अभियुक्त–अपीलार्थी जमानत पर था तथा वर्तमान में विचारण न्यायालय द्वारा उसकी सजा स्थगित की हुई है। अपील के निस्तारण में समय लगेगा। अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

योग्य लोक अभियोजक ने सजा स्थगन आवेदन का विरोध किया।

सुना गया एवं समस्त तथ्यों एवं तर्कों पर विचार किया गया।

चूंकि विचारण के दौरान अभियुक्त–अपीलार्थी जमानत पर होना बताया गया है तथा वर्तमान में भी विचारण न्यायालय द्वारा उसकी सजा स्थगित की हुई है। अपील के निस्तारण में समय लगेगा।

प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त **गोलू पुत्र सुन्दरलाल** इस न्यायालय में **दिनांक 01.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का बंधपत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो वह जमानत पर आजाद रहे एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 16.04.2026** के तहत **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /63